



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-22072022-237444
CG-CG-E-22072022-237444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3165]
No. 3165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 16 जुलाई, 2022

का.आ. 3326(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'च' की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में "राजनंदगांव—नागपुर तीसरी रेलवे लाइन आरओआर गोंदिया को विशेष रेल परियोजना" की बाबत ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अपर जिलाधिकारी, गोंदिया	गोंदिया

[फा. सं. सीई/सी/एन.जी.पी/आरजेएन—केएवी तीसरी लाईन/आरओआर/एसपीएल/आरएलवाई प्रोजेक्ट]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. RAILWAY)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 16th July, 2022

S.O. 3326(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of Rajnandgaon-Kalumna 3rd line ROR Gondia in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S. No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Collector, Gondia	Gondia

[F. No. CE/C/NGP/RJN-KAV 3rd line/ROR/SPL/Rly Project]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)